

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 366/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

मायदान पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन भौमपुरा हाल चक 4 ए.एम. तहसील रावतसर
जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन भौमपुरा हाल चक 4 ए.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. प्रियंका पुत्री रामलाल पत्नी भीमसैन जाति जाट निवासी चक 6 बी.एच.एम. तहसील व जिला हनुमानगढ
3. मंजू पुत्री रामलाल पत्नी राजाराम निवासी 7 डी.बी.एल. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

श्री दिनेश भादू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक- 11.07.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 4 ए.एम. के प.नं. 208/26(9) के किला नं. 13/1 की 0.234 है, 14/2 की 0.234 है, 15/1 की 0.234 है, 16 ता 18 0.759 है, 23 ता 25 की 0.759 है, प.नं. 208/27 (17) के किला नं. 4 ता 7 की 1.012 है. कुल तादादी 3.2320 है. भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 1 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.7.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

